न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 464 / 2022 निर्णय दिनांक :–16.01.2026

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति खाती निवासी उम्र 55 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रमेश पुत्र जगन्नाथ जाति खाती निवासी उम्र 50 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राकेश पुत्र जाति खाती निवासी उम्र 40 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. राजेश कुमार पुत्र मोहन जाति खाती निवासी उम्र 45 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. विमला पुत्री मोहन जाति खाती निवासी उम्र 35 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. कैलाशी देवी पत्नि मोहन जाति खाती निवासी उम्र 65 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. फूलचन्द पुत्र माता कमला जाति खाती निवासी उम्र 45 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. भागचन्द पुत्र माता कमला जाति खाती निवासी उम्र 40 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सीमा पुत्री माता कमला जाति खाती निवासी उम्र 35 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. श्योजी पुत्र गोकुल जाति गूर्जर निवासी उम्र 58 वर्ष निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शाखा प्रबन्धक शाखा बी0आर0के0जी0बी0 राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0।
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज. –अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिववक्ता अप्रार्थी संख्या 1
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खाता न0 385 खसरा नं0 985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 986 रकबा 1.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम राजमहल प0ह0 राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित

है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खाता न0 385 खसरा नं0 985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 986 रकबा 1.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.01 है0 में प्रार्थीगण खसरा नं0 1286 गै0मु0 सड़क में से अप्रार्थीगण सं0 1 की खातेदारी की भूमि खाता न0 479 खसरा नं0 1010 रकबा 0.75 है0 के पश्चिम दिशा की ओर से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेत में आते जाते है। एवं उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण वर्षो से अपने खेत में आ जाकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण सं0 1 ने प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णित अपने खातेदारी के खेत में तारबन्दी कर प्रार्थीगण के खेत में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और प्रार्थीगण का खेत मौके पर हकाई, बुआई, जुताई करने से वंचित है।

प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में आने जाने का कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी खाता सं0 479 ख0न0 1010 रकबा 0.75 है0 के पश्चिम दिशा की ओर गै0मु0 सड़क में से प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत में खसरा न0 985 गै0मु0 चाह व 986 में आता जाता है। प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर 1010 के पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता खातेदारी के खेत में आने जाने के लिये दिया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण चाहे गये रास्ते की डीएलसी राशि की दुगुनी राजस्व रिकार्ड में जमा कराने को तैयार है प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये रास्ता नही मांग रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेत में हकाई, बुआई, जुताई करने जाने में मजामहत करते है। इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं दीगर पारिवारीक सदस्यों के प्रार्थीया को अपने खेत में हकाई,बुआई,जुताई करने से रास्ते में जाने से नही रोके एवं पाबंद रहे। अप्रार्थीगण सं0 2 के यहा अप्रार्थीगण 1 की भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया है एवं अप्रार्थीगण सं0 3 लेण्ड हॉल्डर होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खाता न0 385 खसरा नं0 985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 986 रकबा 1.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.01 है0 ग्राम राजमहल प0ह0 राजमहल तहसील देवली में आ जाने के लिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं0 1 की खातेदारी की भूमि खाता न0 479 खसरा नं0 1010 रकबा 0.75 है0 के पश्चिम दिशा की ओर से 15 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करवाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो निम्न प्रकार है– प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 2 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कभी भी खसरा नंबर 1110 से आते जाते नही थे बल्कि खसरा नंबर 1471/1466 रकबा 0.

1370 है0 से आते जाते थे। प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 3 गलत है, स्वीकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की भूमि खाता न0 479 खसरा नं0 1010 रकबा 0.75 है0 के चारो तरफ तारबंदी बरसो पहले करवा दी थी। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से आते जाते नही थे। प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1010 का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में नही किया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि के अड़वा पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नं0 1471/1466 मे से होकर आते जाते रहे है इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 की खाते की भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण के पास पूर्व मे रास्ता मौजूद है जिसमे से होकर अपनी भूमि पर आ जा रहे है तथा भूमि को काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास पूर्व मे ही रास्ता मौजूद है जिसमे से होकर अपनी भूमि पर आ जा रहे है तथा भूमि को काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 6 गलत है, स्वीकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 1010 के चारो तरफ बरसो पूर्व से तारबंदी हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर खसरा नं0 1471/1466 मे से होकर आ जा रहे है प्रार्थना पत्र का चरण नंबर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है :– प्रार्थी को आराजी मे पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 62 मी0 एवं चौड़ाई 4.50 मी0 अर्थात 280 वर्गमीटर भूमि लगभग है। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 1142393 के अनुसार क्रमशः राशि जिसकी एक गुणा कुल राशि 31988 रूपये व दुगुनी 63976 रूपये है। उक्त भूमि राजमहल–संथली डामर सड़क पर स्थित है व सिंचित है व ग्राम की मुख्य आबादी भूमि से प्रस्तावित भूमि 1500 मी0 की दूरी पर स्थित है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नं0 1010 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड़, दिवार संरचना इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस और डीएलसी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की

खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता न0 385 खसरा नं0 985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 986 रकबा 1.87 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अप्राथी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय कमांकःराजस्व/2024/1080 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार **आराजीयात खाता न0 385 खसरा नं0 985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 986 रकबा 1.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम राजमहल प0ह0 राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग खसरा नं0 1010 रकबा 0.75 है0 में से लम्बाई 62 मी0 एवं चौड़ाई 4.50 मी0 अर्थात 280 वर्गमीटर के लिये डीएलसी दर 1142393/– प्रति0 है0 के अनुसार 280 वर्गमीटर के लिये दुगुनी प्रतिकर राशि 63976 रूपये जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। तत्पश्चात् राशि अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्से अनुसार संदाय करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय सरे इजलास को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली